भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 183B/2017-18

खिरोद चन्द्र महतो **बनाम** कल्याणी महतो

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7-6-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरियाके पत्रांक 547 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 183B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता खिरोद चन्द्र महतो, पिता स्व० राम बिहारी महतो, ग्राम-छोटा गम्हरिया, थाना-गम्हरिया जिला- सरायकेला-खरसावां ने चिकित्सा खर्च हेतु क्रेता कल्याणी महतो, पति-नागमणी मेहता, ग्राम-बन्दीराम थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः-	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
छोटा गम्हरिया	67	93	1014	4.92डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के हक एवं हिस्सा का है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 3.04 एकड़ जमीन है, जिसमें से 4.92 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.99.08 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला, जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 4.92डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

ह० 7/06/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner